25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420263

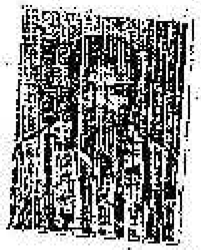

1. भूमि का प्रकार — कृषि भूमि
2. मौहल्ला/ग्राम...मौजा राजोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हेक्टेयर) रकबा 0.858 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :— कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन...नहीं
6. बोरिंग/कुआं/अन्य.. नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि..4060000/—रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 4060000/—रूपये
9. स्टाम्प देय 406000/—रूपये जिसमें से 163100/—रूपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक—28.9.2006 प्रलेख संख्या—11037 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 245000/—रूपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र द्वारा अदा किया जा रहा है
10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर होने की वजह से 800000/—रूपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 62 क्रमांक 29 पर दर्ज है।
कार्यक्षेत्र उपनि0 मथुरा — प्रथम

Anil

Rohit

Ashok

...अधिनियम की धारा 16... 11037/06
...अदा किया गया
...विलम्ब
...किया गया।

1106605

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420264

(2)

प्रथमपक्ष की संख्या (1)

<u>विक्रेता का विवरण</u>

अतुल मंगला पुत्र श्री मुरारीलाल निवासी 82 डी0, कृष्णानगर मथुरा बहैसियत मुख्तारआम श्रीमती किरना पत्नी श्री मंगला बहैसियत खुद व बहैसियत वली व संरक्षिका अपने नाबालिग पुत्र कन्हैया उम्र करीब 8 साल व नूतन उम्र करीब 6 साल पुत्रगण श्री मंगला निवासीगण सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा बजरिये मुख्तारनामा आम दिनांक–28.5.2007 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–4 जिल्द 140 के सफा 325/334 नंबर–384 पर हुआ, जो मुख्तारनामाआम कायम है, विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री राहुल मंगला पुत्र श्री मुरारीलाल निवासी 82डी0, कृष्णानगर मथुरा मुहायदा है धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

द्वितीयपक्ष की संख्या (1)

<u>क्रेता का विवरण</u>

<u>राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कॉलौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा</u>

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420265

0 1 JUN 2007

(3)

चूंकि अतुल मंगला पुत्र श्री मुरारीलाल निवासी 82 डी0, कृष्णानगर मथुरा बहैसियत मुख्तारआम श्रीमती किशना पत्नी श्री मंगला बहैसियत खुद व बहैसियत वली व संरक्षिका अपने नाबालिग पुत्र कन्हैया उम्र करीब 8 साल व नूतन उम्र करीब 6 साल पुत्रगण श्री मंगला निवासीगण सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा बजरिये मुख्तारनामा आम दिनांक–28.5.2007 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–4 जिल्द 140 के सफा 325/334 नंबर–304 पर हुआ, जो मुख्तारनामाआम कायम है, विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री राहुल मंगला पुत्र श्री मुरारीलाल निवासी 82डी0, कृष्णानगर मथुरा मुहावदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–69 व खसरा नंबर–138 रकबा 0.688 हैक्टेयर लगानी 13.55 रुपया सालाना वाके मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिलामथुरा मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विक्रय ने विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त हैं और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जो आदि से पाक साफ है,सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420266

(4)

पर किसी भी विलोय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी बार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 600000/–रुपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी की स्टाम्प हेतु मालियत 4083000/–रुपया है विक्रेता प्रथमपक्ष को वास्ते खर्च खुद व परिवरिश व तालीम व नाबालिगान के भविष्य की सुरक्षा हेतु भूमि क्रय करने के लिये रुपयों की आवश्यकता है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उपरोक्त आराजी के बेचने का मुहायदा बै दिनांक–28.9.2006 जिसका निबंधन कार्यालय उ०नि० मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 3895 के सफा231/322 नंबर–11037 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा बै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। जिस मुहायदा बै में 163150/–रुपये का स्टाम्प अदा किया गया था जिसमें से 100/–रुपये का स्टाम्प कमकर 163100/–रुपये का

INDIA NON JUDICIAL

रुपये 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420267

(5)

स्टाम्प इस विक्रय पत्र में गुजरा किया जा रहा है व शेष 245000/-रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष व मुहायदा वै द्वितीयपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हो बएवज 4080000/-चालीस लाख अस्सी हजार रुपया जिसके आधे 2040000/-बीस लाख चालीस रुपया होते हैं। बदस्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111. श्रीजमुनाधाम कालोनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 1500000/-रुपये बतौर पेशगी बजरिये इकरारनामा द्वारा पाये व 2533000/-रुपये भिन्न भिन्न तारीखों में पहले ही प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का वाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया। खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ। खरीदार समस्त अधिकार

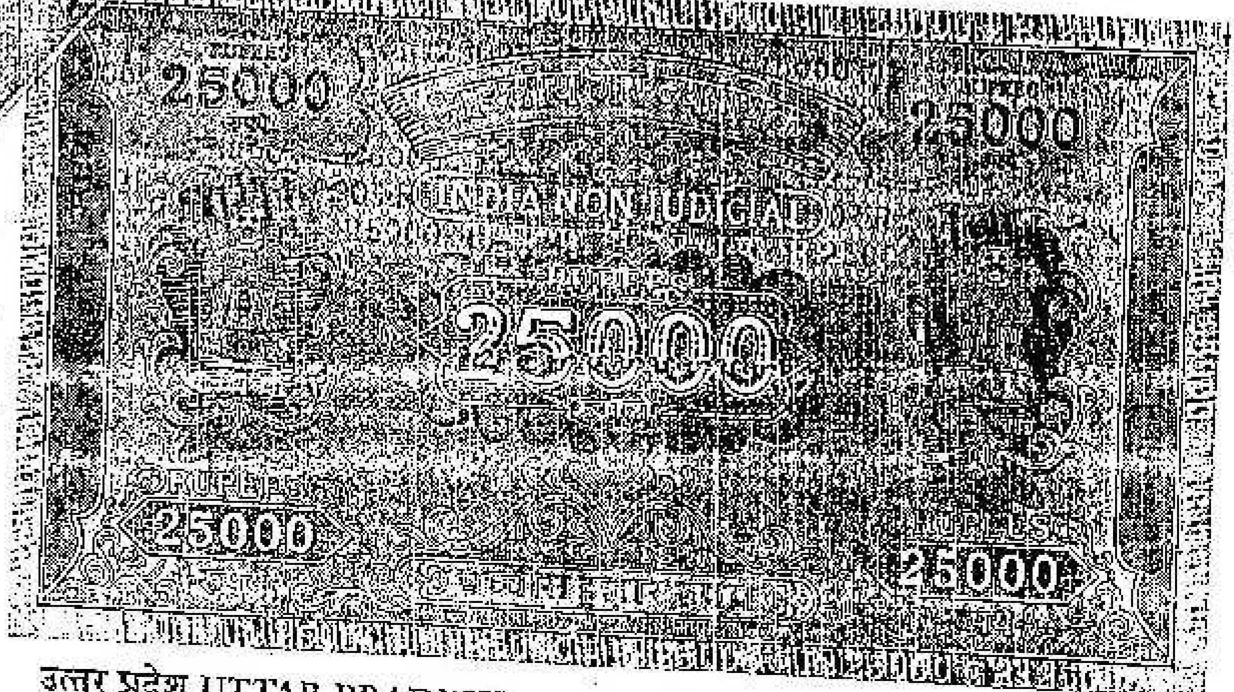

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420268

(6)

मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जाये या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जवाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रुपया [illegible] लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420269

वरिष्ठ कोषाधिकारी 30 JUL 2007

(7)

विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से व उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हस्ब जाब्ता मय खर्चे के वसूल करलें। इसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र नहीं होगा। आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई

INDIA NON JUDICIAL

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420270

(8)

पेड़ आदि है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। खरीदार अपना दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में करालें जिसमें मुझ विक्रेता की पूर्ण रजामन्दी व स्वीकृति है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। अब विक्रेता प्रथमपक्ष का उक्त खसरा नंबर में कुछ भी

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420271

(9)

अंश भूमि शेष नहीं है उक्त मुख्तारनामा आम द्वारा मुझको उक्त विक्रेता की ओर से आराजी बेचने व कीमत का रूपया प्राप्त करने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि0–2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–6 खण्ड 123 के सफा 105/108 पर नंबर–441 पर दिनांक–2.8. 2006 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

RUPEES 20000

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 212011

01 JUN 2007

(10)

लिहाजा यह बैनामा दरूरुती राजी खुब सोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक— 1.6.2007
कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण आरिया मथुरा
ड्राफ्ट किया : सुनाथ कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

मांगी गयी उपरोक्त निजी भूमि [illegible] उपलब्ध है।
खसरा नं०- 138 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
रकबा .0 688 हेक्टेयर।

खसरा नं. 138
रकबा
0.688 है.

[illegible]

[illegible]

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 277501

!! जय श्री गिरिराज !!

इकरारनामा आराजी

स्थित- मौजा सतोहा असगरपुर

सौदा 46,79,465/- रुपये

बयाना 15,00,000/- रुपये

स्टाम्प देय- 1,63,160/- रुपये

क्षेत्राधिकार उपनिबन्धक प्रथम मथुरा

हमकि श्रीनती किशना पत्नी श्री मंगला बहैसियत खुद व बहैसियत वली व संरक्षिका अपने नाबालिग पुत्र कन्हैया उम्र 8 वर्ष व नूतन उम्र 6 वर्ष पुत्रगण श्री मंगला निवासी- ग्राम सतोहा असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व राहुलमंगला पुत्र श्री मुरारीलाल निवासी- 92बी, कृष्णानगर, तहसील व जिला मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष पक्षकारगण इस लेखपत्र के हैं ..।

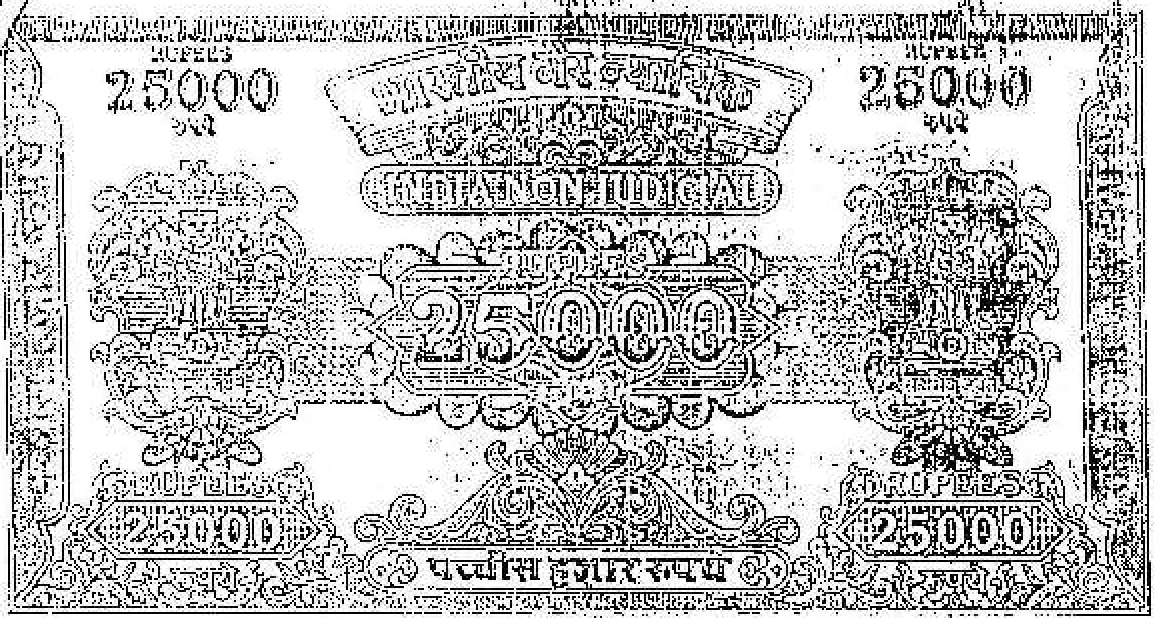

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

277502

28 SEP 2006

(2)

प्रथमपक्ष/विक्रेता तथा द्वितीयपक्ष/क्रेता दोनों में उनके प्रतिनिधि कानूनी हकदार तथा वारिसान सम्मलित है। इकरारनामें की सभी निम्न शर्तें उन पर भी लागू होंगी।

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

277503

{3}

विदित होकि आराजी भूमिधरी नकल खतौनी वर्ष 1412-1417 फसली के अनुसार खतौनी खाता संख्या 69 खसरा नम्बर 138 रकबा 0.688 हैक्टेयर लगानी 13.55 रुपये सालाना

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

277504

{4}

वाके मौजा सतोहा असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा। सम्पूर्ण अंश आराजी मिलकीयत व खाता कागजात माल प्रथमपक्ष है।-जिसके प्रथमपक्ष मालिक व भूमिधर हैं। तथा विक्रेता

Rahul

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 224136

वरिष्ठ कोषाधिकारी

26 SEP 2006

{5}

प्रथमपक्ष ही उक्त आराजी के मालिक काबिज व दखील है। उक्त आराजी हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे आदि से पाक व साफ है कहीं भी रहन व गिरवी आदि नहीं है। उक्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

224135

28 SEP 2006

{6}

आराजी में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी है सिवाय प्रथमपक्ष के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नही है और प्रथमपक्ष को सम्पूर्ण अंश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 224134

28 SEP 2006

(7)

आराजी की बाबत हर प्रकार के मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकारात प्राप्त हैं।

मुझ प्रथमपक्ष को अपनी व अपने परिवार की व नाबालिग उक्त की परवरिश व तालीम

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 224133

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 SEP 2006

मथुरा

(8)

के लिये रुपयों की आवश्यकता है। इसलिये मुझ प्रथमपक्ष उक्त सम्पूर्ण अंश आराजी भूमि के बेचने का सौदा व कीमत 40,78,455/- चालीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ पैंतीस

Rohit

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 224132

(9)

रुपये में राहुलसंगला पुत्र श्री मुरारीलाल निवासी- 82बी, कृष्णानगर, तहसील व जिला मथुरा प्रथम द्वितीयपक्ष के साथ नीचे लिखी शर्तों के अनुसार तय हो गया है। जिससे दोनों पक्ष व उत्तराधिकारी दोनों पक्ष सदैव पाबन्द होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

224131

28 SEP 2006

(10)

1- यह कि प्रथमपक्ष ने ज्याके में 15,00,000/- पन्द्रह लाख रुपये द्वितीयपक्ष से नकद वक्त रजिस्ट्री इकरारनामा द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर लिये हैं बाकी रुपये वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष से प्राप्त करेंगे।

Rahul

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

224130

28 SEP 2006

{11}

2- यह कि खर्चा बैनामा स्टाम्प, फीस आदि सब खरीदार के जिम्मे तय हुआ है।

3- यह कि म्याद करने बैनामा 8 माह तय हुई है। उक्त म्याद में प्रथमपक्ष विक्रेता अपनी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

224129

वरिष्ठ कोषाधिकारी
28 SEP 2006
मथुरा

{12}

उक्त सम्पूर्ण अंश आराजी की बावत समस्त कानूनी पूर्ति करके व मौके पर पैमाइश कराकर

व हर प्रकार से दिलजमई कराकर व उसकी लिखित सूचना खरीदार को देकर अपनी उक्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 224128

वरिष्ठ कोषाधिकारी

23 SEP 2006

(13)

आराजी का बैनामा खरीदार उक्त के हक में या खरीदार चाहे जिसके हक में कर दूंगी। अगर मैं प्रथमपक्ष उक्त म्याद में अपनी उक्त आराजी का बैनामा समस्त कानूनी पूर्ति करके

Rahul

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 224127

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 SEP 2006

{ 14 }

खरीदार के हक में या उसके नामित व्यक्ति के हक में न करें तो खरीदार द्वितीयपक्ष को

अधिकार होगा कि वह अपना खर्चे का रुपया मुजरा करते हुये बाजाब्ता बजरिये अदालत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 224126

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 SEP 2006

प्रथमपक्ष से बैनामा रजिस्ट्री करा लें। ऐसी दशा में खरीदार के समस्त हर्जे-खर्चे की पूरी जिम्मेदारी मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष की होगी। जिसको द्वितीयपक्ष नियमानुसार वसूल करने को सक्षम होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

224125

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 SEP 2006

(46)

4- यह कि प्रथमपक्ष समस्त कानूनी पूर्ति करके व उसकी लिखित सूचना खरीदार को देकर उक्त आराजी का बैनामा खरीदार द्वितीयपक्ष ने अपने हक में या अपने नामित व्यक्ति के

Rahul

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२००० रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

309718

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 SEP 2006

-17-

हक में न कराया तो ब्याने का रुपया जब्त हो जायेगा।

5- यह कि दुबरा कानूनी पायी जाने की दशा में मैं विक्रेता प्रथमपक्ष जुर्म मताइज कानूनी

Rohit

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

309717

वरिष्ठ कोषाधिकारी
28 SEP 2006
मथुरा

का जिम्मेदार रहूंगी व द्वितीयपक्ष से प्राप्त बयाने का रुपया मय हर्जा-खर्चा लागत व सूद के द्वितीयपक्ष को वापिस कर दूंगी।

Rohit

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

1000रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

309716

28 SEP 2006

— 19 —

6- यह कि उक्त आराजी का कब्जा वक्त बैनामा द्वितीयपक्ष को दिया जायेगा।

7- यह कि दिया गया स्टाम्प शुल्क नियमानुसार विक्रय पत्र में समायोजित किया जायेगा,

Rahul

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 911824

चाहे विक्रय पत्र क्रेता द्वितीयपक्ष, के हक में हो या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के हक में हो। कोई पक्ष आपत्ति नहीं करेगा।

अतः यह इकरारनामा कुल्फायदा वै कब्जा रहित अपनी राजीखुशी से लिख दिया कि प्रमाण

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

Rs.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 667702

रहे और समय पर काम आवे। उक्त प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार गवाहों के समक्ष पढ़कर व सुनाकर टाइप व अंकित किया गया है।

तहरीर दिनांक - 28.09.2006ई०

कम्प्यूटराइज्ड किया - दीपक, मीतल फोटोस्टेट, मथुरा।

ड्राफ्ट किया- मुकेश कुमार शर्मा, एडवोकेट, मथुरा।

किशन सिंह

Rohit

साक्षी- किशनसिंह पुत्र श्री [illegible] राम — साक्षी- [illegible]पति पुत्र श्री मुल्तान सिंह

निवासी- [illegible] — निवासी [illegible]पुर

मथुरा — [illegible] मथुरा

किशनसिंह — [illegible]

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010200101 ग्राम का नाम : सतोहा असगर पुर परगना : मथुरा तहसील : मथुरा

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1418-1423 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेवार खसरा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संदर्भ उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
00398	राम अग्रवाल	रमाशंकर अग्रवाल	नि. 161 डी0 जमुनाग्राम कॉलोनी मथुरा	1415फ	138	0.6880		1419फ व आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय मथुरा के वाद सं0 43/11-12 राम अग्रवाल बनाम सरकारधारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अधि0 मौजा सतोहाअसगरपुर आदेश दि0 11.11.11 के अनुसार [illegible] की संस्तुति आख्या दि0 22.10.11 के आधार पर मौजा सतोहा असगरपुर के खाता सं0 431 के खसरा सं0 122 रकबा 0.067है0 व 120 रकबा 0.067है0 व 119 रकबा 0.067है0 व 121 रकबा 0.068है0 लगान 5.30 व खाता सं0 69के खसरा सं0 138 रकबा 0.688है0 लगान 13.55 व खाता सं0 5 के खसरा सं0 106 रकबा 0.631है0 लगान 14.85 व खाता सं0 391 के खसरा सं0 492 रकबा 0.552है0 लगान 15.15 व खाता सं0 103 खसरा सं0 144 रकबा 0.613 लगान 13.10 व खाता सं0 362 के खसरासं0 32 रकबा 0.332है0 व 79/1089 रकबा 0.081व 772 रकबा 0.008है0 लगान 10.15 व खाता सं0 235 के खसरा सं0 523मि रकबा 0.274है0 लगान 8.10 को ज0वि0एवंभू0व्य0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है कि यह उद्घोषणा उक्त भूमि के कृषिक उपयोग में लाये जाने पर तथा मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के प्रवृत्त नियमों निर्देशों एवं अन्य	

4/6/2015

ग्राम का नाम : सन्हेहा असगरपुर   परगना : मथुरा   तहसील : मथुरा

मथुरा   फसली वर्ष : 1418-1423   भाग : 1

खातेदार क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	सीमित अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की अलग-अलग संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----------	2 -----------	-----------	3	4	5	6	7-12	13
								किसी विधिक प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में स्वतः निरस्त मानी जायेगी। तहसीलदार मथुरा की उक्त संस्तुति आख्या आदेश का भाग रहेगी। ह र ला 15.11.11	
				कुल गाटे :	1	कुल क्षे : 0.6880	13.55		

हस्ताक्षर

4/4/2015

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या—13/2011—2012

राम अग्रवाल आदि बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अधि0

मौजा सतोहा असगरपुर

निर्णय/आदेश

वादी राम अग्रवाल पुत्र रमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा आदि के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक—21.10.2011 में अंकित किया गया है कि वह मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-431 खसरा संख्या 122 रकबा 0.067है., खसरा संख्या 120 रकबा 0.067है., खसरा संख्या-119 रकबा 0.067है. व खसरा संख्या 121 रकबा 0.068है भूराजस्व 5.30 रुपये व खाता संख्या— 69 खसरा संख्या— 138 रकबा 0.688है. भूराजस्व 13.55 रुपये तथा एस0के0पी0ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र रमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा खाता संख्या— 50 खसरा संख्या 106 रकबा 0.631है. भूराजस्व 14.85 रुपये, खाता संख्या—391 खसरा संख्या—492 रकबा 0.552है. भूराजस्व 15.15 रुपये व खाता संख्या— 103 खसरा संख्या—144 रकबा 0.613है. भूराजस्व 13.10 रुपये व खाता संख्या— 362 खसरा संख्या 32 रकबा 0.352है., खसरा संख्या— 79/1089 रकबा 0.081है., खसरा संख्या—772 रकबा 0.008है. भूराजस्व 10.15 रुपये, खाता संख्या—233 खसरा संख्या—523मि. रकबा 0.274है. भूराजस्व 8.10 रुपये के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हैं। उक्त भूमि को कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त भूमि को आबादी घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक—22.10.2011 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या—431 खसरा संख्या 122 रकबा 0.067है., खसरा संख्या 120 रकबा 0.067है., खसरा संख्या—119 रकबा 0.067है. व खसरा संख्या 121 रकबा 0.068है भूराजस्व 5.30 रुपये व खाता संख्या— 69 खसरा संख्या— 138 रकबा 0.688है. भूराजस्व 13.55 रुपये के राम अग्रवाल पुत्र रमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा तथा खाता संख्या— 50 खसरा संख्या 106 रकबा 0.631है. भूराजस्व 14.85 रुपये, खाता संख्या—391 खसरा संख्या—492 रकबा 0.552है. भूराजस्व 15.15 रुपये व खाता संख्या— 103 खसरा संख्या—144 रकबा 0.613है. भूराजस्व 13.10 रुपये व खाता संख्या— 362 खसरा संख्या 32 रकबा 0.352है., खसरा संख्या—79/1089 रकबा 0.081है., खसरा संख्या—772 रकबा 0.008है. भूराजस्व 10.15 रुपये, खाता संख्या—233 खसरा संख्या—523मि. रकबा 0.274है. भूराजस्व 8.10 रुपये के एस0के0पी0ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र रमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। प्रस्तावित भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदि कृषि के प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है। वर्तमान में मौके पर आबादी प्रसार किया जा रहा है। ईंट, गिट्टी आदि निर्माण सामग्री पड़ी है। प्रस्तावित भूमि विवाद रहित है। प्रस्तावित भूमि सरकारी, अर्द्ध सरकारी, विकास प्राधिकरण आदि के द्वारा अधिग्रहण नहीं की गई है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

क्षेत्रीय लेखपाल श्री [illegible] मौजा सतोहा असगरपुर का सशपथ बयान दर्ज किया गया। लेखपाल ने अपने बयान दिनांक—9.11.2011 में अंकित कराया है कि मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या—431 खसरा संख्या—122 रकबा 0.067है., खसरा संख्या 120 रकबा 0.067है., खसरा संख्या—119 रकबा 0.067है. व खसरा संख्या 121 रकबा 0.068है भूराजस्व 5.30 रुपये व खाता संख्या— 69 खसरा संख्या— 138 रकबा 0.688है. भूराजस्व 13.55 रुपये तथा एस0के0पी0ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र रमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा खाता संख्या— 50 खसरा संख्या 106 रकबा 0.631है. भूराजस्व 14.85 रुपये, खाता संख्या—391 खसरा संख्या—492 रकबा 0.552है. भूराजस्व 15.15 रुपये व खाता संख्या— 103 खसरा संख्या—144 रकबा 0.613है. भूराजस्व 13.10 रुपये व खाता संख्या— 362 खसरा संख्या 32 रकबा 0.352है., खसरा संख्या—79/1089 रकबा 0.081है., खसरा संख्या—772 रकबा 0.008है. भूराजस्व 10.15 रुपये, खाता संख्या—233 खसरा संख्या—523मि. रकबा 0.274है. भूराजस्व 8.10 रुपये संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। प्रस्तावित भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदि कृषि के प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है। प्रस्तावित भूमि पर कोई विवाद नहीं है। प्रस्तावित भूमि सरकारी, अर्द्ध सरकारी, विकास प्राधिकरण आदि के द्वारा अधिग्रहण नहीं की गई है।

क्षेत्रीय लेखपाल का बयान दिनांक— 9.11.2011 एवं तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या दिनांक 22.10.2011 के आधार पर मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या—431 खसरा संख्या— 122 ,

[illegible] खसरा संख्या 120 रकबा 0.087है, खसरा संख्या–139 रकबा 0.067है व खसरा संख्या 171 [illegible] खसरा संख्या 120 रकबा 0.087है, [illegible] संख्या– 138 रकबा 0.663है, [illegible] 1355 [illegible] [illegible] 139 [illegible] संख्या– 138 रकबा 0.663है, [illegible] 14.35 [illegible] खाता संख्या 301 खसरा संख्या [illegible] [illegible] 133 खसरा संख्या–144 रकबा 0.513है [illegible] 13.50 [illegible] [illegible] खाता संख्या– 133 खसरा संख्या–144 रकबा 0.513है, खसरा संख्या 172 [illegible] [illegible] खसरा संख्या 82 रकबा 0.352है, खसरा संख्या –79 / 1089 रकबा 0.351है, [illegible] [illegible] खाता संख्या–235 खसरा संख्या–523मि रकबा 0.274है, [illegible] [illegible] उ0प्र0 [illegible] अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ गैर कृषिक घोषित [illegible] [illegible] भूमि के कृषिक उपयोग में लाये जाने पर तथा मथुरा वृन्दावन विकास [illegible] है कि यह [illegible] भूमि के कृषिक [illegible] प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में [illegible] [illegible] निर्देशों का [illegible] किसी [illegible] प्राविधानों के [illegible] रहेगी। आदेश की एक प्रति [illegible] [illegible] मथुरा को [illegible] आदेश का भाग रहेगी। आदेश की एक प्रति [illegible] [illegible] इस भूमि [illegible] कृषि कार्य के प्रयोग में [illegible] [illegible] की जाती है कि [illegible] की एक प्रति [illegible] मथुरा को [illegible] [illegible] तहसीलदार की [illegible] आदेश की एक प्रति [illegible] कार्यवाही हेतु [illegible] [illegible] सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर होवे।

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक-

यह आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक –

[illegible]

सत्य प्रतिलिपि

[illegible] उपजिलाधिकारी
मथुरा

14/11/2011

(6)

गांव सहोरा जमालपुर परगना मथुरा तहसील मथुरा जिला मथुरा

१२२	१·९८८	१६ मि०	१·९८८	४३६	बरहा अव्वल दोड	नलकूप
१२३	२·६०५	१९ मि०	२·८८५	४०१	बरहा अव्वल दोड	नलकूप
		२० मि०	०·०१०		बरहा अव्वल दोड	आबादी
	(३१)	४२ मि०	०·०१०		बरहा अव्वल दोड	नलकूप
१२४	०·१०४	८ मि०	२·१०५ ०·०२०	५०४	बरहा अव्वल दोड	—
		१९ मि०	०·००५		बरहा अव्वल दोड	
		५० (३२)	०·०६९ (३४)		बरहा अव्वल दोड	
१२५	०·०८६	१९ मि०	०·१४६ ०·०१५	६१०	बरहा अव्वल दोड	
		३९ मि०	०·०२०		बरहा अव्वल दोड	
		४२ मि०	०·०३२		बरहा अव्वल दोड	
		४३ मि०	०·०२०		बरहा अव्वल दोड	
१२६	०·३६५	१९ मि०	०·०१६ ०·०२०	६४२	बरहा अव्वल दोड	नलकूप
		४२ मि०	०·३४५		बरहा अव्वल दोड	नलकूप
१२७	०·३६५	४२ मि०	०·३६५	५३०	बरहा अव्वल दोड	नलकूप
[redacted]				[redacted]	बरहा अव्वल दोड	नलकूप
		[redacted]	[redacted]		बरहा अव्वल दोड	नलकूप
	८·५१२					
	जोड	८·५१२				सिंचित नलकूप ८·३०२
	अ-जोत	०·२०१				असिंचित ०·०१०

चकबन्दी लेखपाल के हस्ताक्षर | चकबन्दी कर्ता के हस्ताक्षर | सहायक चकबन्दी अधिकारी के हस्ताक्षर

विशेष सूचना ... नहीं मानी जायगा ।

नकल जे० ए० आकार पत्र—४५

(नियम ६७)

[illegible] की धारा 27 में [illegible]

मौजा [illegible]पुर परगना मथुरा तहसील मथुरा जिला मथुरा

खाता संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान					
श्रेणी १ क (क)	भूमिधर संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में					
३४१	भगवाना पुत्र रोशन निवासी ग्राम		१३८	०.६०८	१३.५५	
	[illegible]					
३४२	मूली पुत्र नवलसिंह निवासी ग्राम		६३५	०.५२३	८.०५	

नकल का नम्बर 2121

प्रार्थी राजेन्द्र [illegible]

स्टाम्प [illegible]

आवेदन देने का दिनांक 2[illegible]

नकल तैयारी का दिनांक 7/2/07

नकल जारी का दिनांक [illegible]

मिलान कर्ता [illegible]

दुरुस्ती कर्ता [illegible]

नकल कर्ता [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

राजस्व अभिलेखपाल

मथुरा

[illegible] —16 जनवरी—2-2-89—12-90-000

आदेश [illegible] तहसीलदार [illegible] रामपुर [illegible]
[illegible] मालीन होने के कारण [illegible]

३८ मेराजा पुत्र रोशन नियामी [illegible] ११५ ८३ ०·८८८ ०·८८८ [illegible]
[illegible] ८२ ०·४२६ ०·४२६ [illegible]

पूर्ण योग	२	१·५२५	१·५२५	[illegible]	२०·००

ब आदेश श्रीमान [illegible] महोदय [illegible] ६१ [illegible]
[illegible] ब आदेश श्रीमान [illegible] महोदय [illegible]
[illegible] नम्बर ० ४०६ [illegible] आपत्ति [illegible] पुत्र रोशन [illegible]
[illegible] पर स्थापित [illegible] ३६८ [illegible]
नाम [illegible] मनोहर लाल [illegible]

ब आदेश श्रीमान [illegible] महोदय [illegible] १५·५·९१
[illegible] ग्राम [illegible]
[illegible] ३६८ [illegible]
[illegible] ० २४२ [illegible] विक्रेता [illegible] पुत्र रोशन [illegible]
[illegible] फिरोज [illegible]
[illegible] ३१५३ [illegible]
[illegible]

[illegible] ८/१/९९

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

५५६८

ह० लिखान कर्ता

ह० दुरुस्ती कर्ता

नकल कर्ता

[illegible]-मेरठ मंडल राजस्व आकार पत्र 15

नियम 56 (1)

पुनरीक्षित खतौनी रजिस्टर (५५)

११६	श्रीमती [illegible] देवी पत्नी [illegible]	[illegible]	[illegible]	०-११५	✓	११५	मजूदर	(११६)					[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	०-३६६	✓								[illegible]	[illegible]	०-३६६	१८-१०	[illegible]		
	[illegible] पत्नी [illegible]		२	१-२६१	५५-७०								[illegible]						
	[illegible]																		
११७	[illegible]	[illegible]	७२	[illegible]		१३८	(११७)						[illegible]			[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	४२	०-८२८	✓									[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			२	१-४२२	५०-००												[illegible]		

ह० निशान कर्ता [illegible]

ह० पुरानी कर्ता [illegible]

ह० नकल कर्ता [illegible]

शुद्ध प्रतिलिपि

[illegible] २९/५/०८

राजस्व अभिलेखपाल

मथुरा

[illegible] १२५४(९)

[illegible] २१/५/०८

[illegible] देने का दिनांक [illegible]

[illegible] देने का दिनांक १९/५/०८

[illegible] का दिनांक २९/५/०८

[illegible] २९/५/०८

[illegible]

खतौनी

मौजा - सतोहा असगरपुर

परगना ... जिला - मथुरा

सन 1382 फ० 1387 फ०

१२८ रामचंद पुत्र [illegible] निवासी ग्राम	१३८७	२५४	४-५५	४४	८१
खतौनी 2 —					
यह भूमि जो सीरदारों के अधिकार में है					
१८ [illegible] पुत्र [illegible] निवासी ग्राम	१३८७	६३	२-७०		
		६३	२-०७		
		२४	३-३३		४२

2253

नकल दिनांक 2-2-08

दिनांक 18/2/08

हु० मिलान कर्ता

हु० मुकाबला कर्ता

नकल कर्ता

राजस्व अभिलेखपाल

मथुरा

१२६	[illegible]	१३६०५	५३	१-१०			
	[illegible]	१३६२५	६३	२-०५			
		१-८०	२	३-२२	२४	१४	

सन् 1379 10 138 फ0

१२३	[illegible]	१३६०५	५१	०-२६			
	[illegible]	१५४	३०	४-२३			
	[illegible]	१३६२३	२	८-६८	४४	११	
	[illegible]	१३६२४					
	[illegible]	०-४३					
१२८	[illegible]	१३६०५		१-३२			
	[illegible]	१३६६६	३३४	४-४९			
		०-३६	३२	०-२९			
			३	१३-९५	८२	४८	

नकल की फीस 5-40

नकल देने का दिनांक

नकल तैयारी का दिनांक

नकल जारी का दिनांक

राजस्व अभिलेखपाल

सत्य प्रतिलिपि

18/8/08

राजस्व अभिलेखपाल मथुरा

आज दिनांक 28/09/2006 को

बही सं 1 जिल्द सं 3885

पृष्ठ सं. 281 से 322 पर क्रमांक 11037

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव

उप निबन्धक

28/9/2006

25 SEP 2006

आज दिनांक 01/06/2007 को
बही सं 1 जिल्द सं 4361
पृष्ठ सं 277 से 298 पर क्रमांक 6700
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मो0मुकुन्द शर्मा
उप निबन्धक
मथुरा
1/6/2007